न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./2003/ 5884/नागौर

1- गोपाल पुत्र श्री रामपाल जाति भांबी निवासी जुसरी हाल तहसील मकराना जिला नागौर।
2- प्रेमी पुत्री श्री रामपाल जाति भांबी निवासी जुसरी हाल तहसील मकराना जिला नागौर।

......अपीलान्टस

बनाम

1- मुन्नी बेवा लादूराम जाति मेघवाल निवासी जुसरी हाल तहसील मकराना जिला नागौर।
2- सिंगारी पुत्र श्री लादूराम जाति मेघवाल निवासी जुसरी हाल तहसील मकराना जिला नागौर।
3- लिछ्मण पुत्र श्री धनेसिंह जाति राजपूत निवासी जुसरी हाल तहसील मकराना जिला नागौर।

......रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड-पीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य

उपस्थितः
श्री मुकेश जैन,अभिभाषक अपीलान्ट
श्री एस.पी. सिंह, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 18-10-2019

निर्णय

1- यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा-224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-9-2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्टस के पिता रामपाल ने एक वाद अन्तर्गत धारा-53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर, मकराना के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी

संख्या–1 लादूराम सगे भाई हैं तथा वादी सबसे छोटा एवं प्रतिवादी संख्या–1 सबसे बड़ा है एवं एक अन्य भाई सोनाराम था जिसका देहान्त लगभग 25 वर्ष पूर्व हो चुका है। वादी लगभग 30 वर्ष पूर्व से आराजी खसरा नम्बर–319 पर जो कि वादी व प्रतिवादी का 51 बीघा 12 बिस्वा का है, पर वादी 1/3 हिस्से अनुसार अर्थात 17 बीघा 4 बिस्वा पर काबिज काश्त है तथा 2/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या–1 काबिज काश्त है क्योंकि प्रतिवादी संख्या–1 लादूराम एवं सोनाराम दोनों भाई शामिल ही रहते थे तथा सोनाराम की शादी भी प्रतिवादी संख्या–1 ने ही की थी इसलिये 2/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या–1 एवं 1/3 हिस्से पर वादी काबिज काश्त है। उसी अनुसार बंटवारा किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाये। प्रतिवादी संख्या–1 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने दावा व इकबाली जवाब दावा के आधार पर वादी का वाद दिनांक 27–4–1994 को डिक्री कर दिया जिसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–1 लादूराम ने मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–9–2003 द्वारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय की डिक्री अपास्त कर दी। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–9–2003 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–9–2003 न्याय, नियम व रिकार्ड के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या–1 खसरा नम्बर–319 रकबा 77 बीघा 8 बिस्वा के 2/3 हिस्से अर्थात 51 बीघा 12 बिस्वा पर काबिज थे जिसमें वादी 17 बीघा 4 बिस्वा पर काबिज था तथा उक्त आराजी पर लगभग 30 वर्ष से काबिज है जिसे प्रतिवादी ने भी स्वीकार किया था

जिसके अनुसार ही वादी का दावा डिक्री किया था जिसे अपील अधिकारी ने उलटने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपील लगभग 3 वर्ष बाद मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी थी जिसे शमित करने का पर्याप्त कारण मौजूद नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि कब्जे के संबंध में स्वतंत्र गवाहों के बयान पत्रावली में संलग्न होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री अपास्त करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादी संख्या-1 लादूराम ने परीक्षण न्यायालय में इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया था किन्तु इसके बावजूद भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी / रेस्पोन्डेन्ट की अपील स्वीकार कर ली जो निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थना की कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौरके निर्णय दिनांक 25-9-2003 को निरस्त करते हुये विद्वान सहायक कलेक्टर, मकराना का निर्णय दिनांक 27-4-1994 यथावत रखा जाये।

5- इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बहस का जवाब देते हुये बताया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर का निर्णय व डिक्री दिनांक 25-9-2003 विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय समस्त तथ्यों व विधिक प्रावधानों के अनुरूप प्रदान किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर, मकराना ने जो निर्णय दिनांक 27-4-1994 को पारित किया है वह विधिक प्रावधानों तथा तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य था जिसे विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिये एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया था जिसे स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किया है और अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया है। अपील में कोई

ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं इसलिये अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

6- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

7- पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रदर्श-1, जमाबन्दी संवत 2047-50 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर-319 रकबा 77 बीघा 8 बिस्वा पर लादूराम पुत्र गणेश भांबी 2/3, लिक्षमण सिंह पुत्र धने सिंह 1/3 राजपूत साकिन देह खातेदार अंकित है। इसी जमाबन्दी में लाल स्याही से नोट अंकित है **''नामान्तरकरण संख्या-685 के जरिये निम्न बंट्वारा स्वीकृत हुआ लादू पुत्र गणेश भांबी साकिन देह खसरा नम्बर-319 रकबा 51 बीघा 12 बिस्वा लिछ्मणसिंह पुत्र धनेसिंह राजपूत खसरा नम्बर-319/1 रकबा 25 बीघा 16 बिस्वा।''** इस प्रकार उक्त जमाबन्दी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर-319 के 2/3 हिस्सा पर लादू पुत्र गणेश खातेदार काश्तकार था और जरिये बंट्वारा वह खसरा नम्बर-319 के 51 बीघा 12 बिस्वा का पृथक से खातेदार काश्तकार हो गया। उक्त जमाबन्दी में वादी रामलाल पुत्र गणेश का कहीं नाम नहीं है।

8- लादू पुत्र गणेश ने दिनांक 31-1-1994 को इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसकी पहचान एडवोकेट सगीर अहमद ने की। प्रतिवादी संख्या-3 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही दिनांक 2-3-1994 को की गई तथा प्रतिवादी संख्या-2 का नाम दिनांक 4-4-1994 को तर्क कर दिया गया। शहादत के तौर पर वादी ने रामलाल पुत्र गणेश, रामलाल पुत्र जीवणराम तथा मूलाराम पुत्र लालूराम के बयान कलमबद्ध कराये।

9- इकबाली जवाब दावा व गवाहों के बयानों के आधार पर परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर, मकराना ने वाद स्वीकार कर दिनांक 27-4-1994 को डिक्री कर दिया और ग्राम जूसरी के खसरा नम्बर-319 रकबा 77 बीघा 8 बिस्वा में से 51 बीघा 12 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा अर्थात 17 बीघा 4 बिस्वा जमींन हिस्से में आती है। अतः वाद के बिन्दु संख्या-5 में दर्शाया गया पड़ौस की भूमि वादी के हिस्से की जमींन 17 बीघा 4 बिस्वा को अलग से बंटवारा करते हुये वादी को उक्त जमींन का स्वतंत्र रूप से बंटवारा करते हुये खातेदार घोषित कर दिया गया।

10- रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 के पति तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या-2 के पिता लादू पुत्र गणेश ने अधीनस्थ न्यायालय विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर में प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें कथन किया कि विवादित भूमि को जागीरदार रेस्पोन्डेन्ट संख्या-2 लिक्षमणसिंह से 2/3 हिस्सा काश्त हेतु लिया था और संवत 2008 से 2027 का पर्चा लगान व गिरदावरी के आधार पर लादूराम को खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया। उक्त भूमि की वसीयत लादूराम ने अपनी पुत्री सिगणारी के पक्ष में दिनांक 21-12-1993 को वसीयत कर दी। लादूराम ने यह भी कथन किया कि इकबाली जवाबदावा धोखाधड़ी से तैयार किया हुआ दस्तावेज है। अपील में उसने प्रार्थना की कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 27-4-1994 निरस्त किया जाये। अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा-5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया।

11- लादूराम ने अपील में कुछ जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी की प्रति पेश की थी। खसरा गिरदावरी संवत 2009-2012 में आराजी खसरा नम्बर-319 रकबा 77 बीघा 8 बिस्वा पर कॉलम नम्बर-5 नाम भूमि अधिकारी (जागीरदार वगैरहा) में लक्ष्मण सिंह वल्द धनेसिंह कौम राजपूत साकिन देह दर्ज है जबकि कॉलम नम्बर-6 नाम उप कृषक में लादिया वल्द गणैश कौम बलाई साकिन देह दर्ज है। जमाबन्दी

संवत 2015–2018 में कॉलम नम्बर–4 भूमि अधिकारी (जागीरदार, उप जागीरदार) के विवरण में रिज्यूम जागीर तथा कॉलम नम्बर–5 नाम कृषक में लादिया वल्द गणेशा कौज भांबी साकिन देह खसरा नम्बर–319 रकबा 51 बीघा 12 बिस्वा दर्ज है। इस प्रकार उक्त दस्तोवज से यह सिद्ध होता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर–319 रकबा 77 बीघा 12 बिस्वा जागीरदारी अधिनियम के तहत जागीरदार लक्ष्मणसिंह की भूमि थी जिसके 2/3 हिस्से अर्थात 51 बीघा 12 बिस्वा पर लादू पुत्र गणेश की काश्त होने के कारण जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम, 1952 प्रभाव में आने के कारण वह खातेदार काश्तकार हो गया। उक्त भूमि में वादी रामलाल तथा एक अन्य भाई सोनाराम का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं था। परीक्षण न्यायालय ने केवल मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वादी के पक्ष में दावा डिक्री करने में गंभीर त्रुटि की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुसार खातेदारी अधिकार धारा–15, 19 व 88 के तहत ही प्रदान किये जा सकते हैं। वादी को रिकार्ड से यह साबित करना होगा कि वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने की तिथि 15–10–1955 के पूर्व से भूमि पर काबिज काश्त था। वादी ने ऐसा एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि वह दिनांक 15–10–1955 से पूर्व से काबिज काश्त विवादित भूमि पर था। परीक्षण न्यायालय ने वाद पत्र की मद संख्या–5 को आधार मानकर तथा तथाकथित इकबाल जवाबदावा एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर प्रतिकूल कब्जा मानकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं, जो विधि विरूद्ध तथा तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

12– माननीय राजस्व मण्डल की 5 सदस्यीय पूर्ण खण्ड–पीठ ने आरबीजे.–2011 पेज–387 में अपना अभिमत प्रकट किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2017(2) आरआरटी

पेज–1139 में भी यही मत प्रकट किया है। अतः इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–4–1994 तथा डिक्री दिनांक 28–7–1994 निरस्त कर विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में ऐसा कोई ठोस तथ्य एवं विधि के प्रावधान प्रस्तुत नहीं किये जिससे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता महसूत हो।

13– फलतः यह द्वितीय अपील सारहीन व बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–9–2003 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य